uxj iapk;r dksV[kkbZ] ftyk f'keyk] fgekpy izns'k ds ys[kkvksa dk vads{k.k o fujh{k.k izfrosnu

vads{k.k vof/k 04@2011 ls 03@2012

Hkkx&,d

1 ikjfEHkd %&

¼d½ ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिषों के फलस्वरूप नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संषोधन होने व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः 1–376/81–फिन(एल0ए0)खण्ड–IV, दिनांक 16.10.2008 द्वारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेषक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, नगर पंचायत कोटखाई जिला षिमला के अवधि 4/11 से 3/12 के लेखाओं का अंकेक्षण किया गया।

¼[k½ vads{k.k vof/k ds nkSjku vkgj.k ,oa forj.k vf/kdkjh ds in ij Jh jfoUnz pkSgku] iz/kku o Jh vfuy pkSgku] lfpo dk;Zjr jgsA

¼x½ uxj iapk;r dksV[kkbZ ds ys[kk vof/k 04@2011 ls 03@2012 esa ik;s xbZ xEHkhj vfu;ferrkvksa dk lf{kIr lkj %&

Øekad	xEHkhj vfu;ferrkvksa dk lEcfU/kr lkj	iSjk la[;k	jkf'k ₹ yk[k esa
1	रैहन बसेरा का प्रयोग निजि आवास के रूप में करने के कारण प्रतिवर्ष की आय की हानि होना	9	0.24
2	तहबाजारी ठेके के रूप में राषि प्राप्त न करना	10	0.13
3	मोबाईल टावर से कोई भी आय प्राप्त न करने के फलस्वरूप हानि	15	0.30
4	नियमों की अनदेखी करके मजदूरी का अनियमित भुगतान	16	3.85
5	रैहन बसेरा के बिजली के बिलों के रूप में अनुचित भुगतान	17	0.21

6	हिमाचल प्रदेष सिविल सप्लाईज कारर्पोरेषन षिमला को अधिक भुगतान	18	0.25
7	गलत कन्वर्षन फेक्टर लगाए जाने के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	20	0.08
8	डिपोजिट कार्य हेतु भुगतान के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	21	50.00
9	कार्य निष्चित सामयावधि के भीतर पूण्र न होने पर ठेकेदार से वसूली न करने के फलस्वरूप नगर पंचायत को हानि	23	5.20
10	निर्माण कार्यो से सम्बन्धित बिक्री कर और श्रम कर की कटौतियो को सम्बन्धित विभागों में जमा न करवाना	24	0.70
11	नगर पंचायत द्वारा वाहन हाईड्रोलिक टिप्पर का पंजीकरण व बीमा न करवाना तथा इस वाहन के अनुपयुक्त रहने के कारण वाहन की रसीद पर व्यर्थ में ही करने बारे	25	7.68

¼?k½ xr vads{k.k ifrosnu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिषिष्ट ''क'' पर दर्षाई गई है। अंकेक्षण में पाया गया कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है जो अत्यन्त चिन्ताजनक है। अतः नगर पंचायत द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विषेष अभियान/कार्रवाई करनी सुनिष्चित की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण सम्भव हो सके।

Hkkx&nks

2 orZeku vads{k.kh&

नगर पंचायत कोटखाई, जिला षिमला हिमाचल प्रदेष के अवधि 01.04.2011 से 31.03.2012 के लेखाओं का लेखा परीक्षण व निरीक्षण, श्री अनिल कुमार मेहरा अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 23.7.2012 से 7.8.2012 के दौरान नगर पंचायत के कोटखाई स्थित कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 012/2011 व व्यय की विस्तृत जॉच हेतु माह 06/2011 का चयन किया गया जिसके परिणामों को अनुवर्ती पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण नगर पंचायत कोटखाई प्रषासन द्वारा उपलब्ध करवाए गए अभिलेख/सूचनाओं के आधार पर किया गया है। अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी अधूरी सूचना एवम गलत सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेष का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 vads{k.k 'kqYd %&

नगर पंचायत कोटखाई, जिला षिमला, हिमाचल प्रदेष के अवधि 01.04.11 से 31.03.12 के लेखाओं के अंकेक्षण व निरीक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹7800/–(सात हजार आठ सौ) मात्र बनता है। अंकेक्षण शुल्क की राषि का भुगतान निदेषक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेष के नाम देय रेखांकित डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा करने हेतु अनुभाग अधिकारी (लेखा परीक्षा) की अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 156, दिनांक 7.8.2012 द्वारा सचिव नगर पंचायत कोटखाई से अनुरोध किया गया।

4 foÙkh; fLFkfr

¼d½ अंकेक्षण अवधि में नगर पंचायत की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी :–

uxj iapk;r dkV[kkbZ dh vof/k 01-04-2011 ls 31-03-2012 dh foÙkh; fLFkfr

'kh"kZ	vkjfEHkd 'k"k	o"kZ esa izkfIr;ka	dqy ;ksx	o"kZ esa vnk;fx;ka	vfUre 'k"k
अनुदान से प्राप्त आय	3012608.80	1926727.86	4939336.66	2946388.00	1992948.66
अपने साधनों से आय	5327602..54 (–) 38815.10 5288787-10	903685.00	6192472.00	2499393.00	3693079.44
dqy ;ksx	8301395-90	2830412-86	11131808-76	5445781-00	5686028-10

ukV%& अपने साधनों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति के प्रारम्भिक षेष में उक्त अन्तर ₹38815.10/–रोकड़ वही/ खातों में कम जमा की गई राषि के कारण था जिसका विवरण अवधि 4/96 से 3/07 के अंकेक्षण प्रतिवेदन पैरा संख्या 2.2 में दिया गया था तथा तदोपरान्त वर्ष 04/07 से 3/11 के अंकेक्षण प्रतिवेदन में इस पैरे को समाप्त कर दिया गया था क्योंकि उक्त राषि रसीद संख्या जी 8–54/2007 दिनांक 22.11.2007 द्वारा अन्य राषियों/वसूलियों सहित जमा की गई थी परन्तु नगर पंचायत कोटखाई द्वारा यह राषि अवधि 04/2007 से 03/2011 की वित्तीय स्थिति में भी पुनः ली गई थी जबकि इसे पूर्व में भी अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/96 से 03/2007 की वित्तीय स्थिति में भी लिया जा चुका था। इस प्रकार यह राषि अवधि 04/2007 से 03/11 की वित्तीय स्थिति में नहीं ली जानी थी। अतः इसके समाधान के लिए अब राषि को नगर पंचायत द्वारा अपने साधनों प्राप्त राषि के प्रारम्भिक षेष से घटाकर वित्तीय स्थिति में दर्षाया गया है तथा अब नगर पंचायत की रोकड़ वही अनुसार 31.3.12 को षेष=₹5686028.10 है। इस प्रकार वित्तीय स्थिति व रोकड़ वही में 31.3.12 को कोई अन्तर नहीं है।

cid lek/kku fooj.kh&

	दिनांक 31.03.2011 को रोकड़ बही के अनुसार अन्तषेष	₹5686028.10
1	चैक जो जारी किए गए परन्तु 31.3.2012 तक आहरित नहीं किए 1) चैक सं0 008701 ₹21582 2) चैक सं0 008715 ₹3500 3) चैक सं0 008716 ₹2000	(+)₹27082.00
2	दिनांक 30.7.2010 का बैंक द्वारा अधिक डेबिट की गई राषि	(-) 1276.00
	dy ;kx	₹5711834-10

uk\V%& उपरोक्त दर्षाई गई ₹1276/– की प्रविष्टि की दुरूस्ती बैंक से करवाकर अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी समायोजन हेतु मामला उठाने बारे कहा गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः दिनांक 30.7.2010 को बैंक द्वारा अधिक डेबिट की गई राषि का समाधान करवाया जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

fnuk\d 31-03-2012 dk gLrxr jkf'k o cid\k e: tek jkf'k dk fooj.k %&

(1)	हस्तगत राषि	शून्य
(2)	भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता संख्याः 11293421568 में जमा राषि	₹145097.97
(3)	भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता संख्याः 11293421783 में जमा राषि	₹2992487.69
(4)	भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता संख्याः 11293431148 में जमा राषि	₹168004.64
(5)	भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाता संख्याः 11293421807 में जमा राषि	₹419118.80
(6)	हिमाचल प्रदेष राज्य सहकारी बैंक सीमित के बचत खाता संख्या 7734 में जमा राषि	₹352366.00
(7)	भारतीय स्टेट बैंक के सावधि जमा खाता संख्या 11293475321 में जमा राषि	₹1634759.00

dqy ;ksx	₹5711834-10

5 lkof/k fuos'k %&

नगर पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि के अन्त अर्थात दिनांक 31.03.2011 तक भारतीय स्टेट बैंक कोटखाई में ₹16,34,759/– निवेष की गई थी जिसकी परिपक्वता तिथि दिनांक 29.11.2011 तथा शेष विवरण निम्नानुसार है :–

lkof/k [kkrk la[;k	fuos'k dh frfFk	fuos'k dh ifjiDork frfFk	C;kt nj	ifjiDork dh jkf'k
935194	29.11.11	29.11.12	9% वार्षिक	₹1791301.00

अतः उपरोक्त निवेष को समय पर भुनाना व तदानुसार ही इसका लेखांकन किया जाना सुनिष्चित करते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

6 _.k rFkk vfxze ls lEcfU/kr jkf'k;ksa dh ckjs esa%&

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनानूसार अंकेक्षण अवधि में कोई भी राषि ऋण के रूप में प्राप्त नहीं की गई तथा इसके अतिरिक्त नगर पंचायत के किसी कर्मचारी से दिनांक 31.03.2012 के स्टाफ अग्रिम की कोई वसूली शेष नहीं थी।

7 vuqnku %&

¼d½ अंकेक्षण अवधि 2011–2012 के दौरान नगर पंचायत को ₹1926727.86/– का कुल अनुदान प्राप्त हुआ तथा प्राप्त अनुदान का स्त्रोतवार पूर्ण विवरण परिषिष्ट ''ख'' से ''ट'' में दर्षाया गया है। अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राषियों में से निम्नलिखित राषियाँ अव्ययित (Unspent) पड़ी थी :–

Øekad	vuqnku dk L=ksr	fnukad 31-03-2012 dks v0;f;r jkf'k	ifjf'k"V dk fooj.k
1.	Grants received under Maintenance of ULB roads	₹588753.66 / –	परिशिष्ट ''ख''
2	Grants received under natural calamities	₹283712 / –	परिशिष्ट ''ग''
3	Rajeev Awas Yojna	₹17000 / –	परिशिष्ट ''घ''
4	Grants received for purchase of garbage bin	₹22500 / –	परिशिष्ट ''ड़''
5	Grants received under SJSRY	₹74223 / –	परिशिष्ट ''च''
6	Grants received under 13th Finance Commission	₹239451 / –	परिशिष्ट ''छ''
7	Grants received under SFC Grants	₹10053 / –	परिशिष्ट ''ज''
8	Grants received under EIUS/NSDP Scheme	₹334115 / –	परिशिष्ट''झ''
9	Grants received under IDSMT	NIL	परिशिष्ट 'ञ''
10	Grants received under Tourism and Civil aviation.	₹423141 / –	परिशिष्ट ''ट''
	Total	₹1992948-66@&	

अतः इन अनुपयुक्त (Unspent) राषियों का नियमानुसार व्यय किया जाना सुनिष्चित किया जाए अथवा इन्हें सम्बन्धित संस्था को लौटाया जाना सुनिष्चित किया जाए।

¼[k½ नगर पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर में प्राप्त अनुदान राषियों व व्यय का विवरण उचित प्रकार से रोकड बही को सन्दर्भित करते हुए लेखांकित न किए जाने के कारण अनुदान विवरणियों की ठीक ढ़ंग से जांच नहीं की जा सकी। अतः अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव

उपरोक्त सुझाव के अनुसार किया जाए ताकि उक्त रजिस्टर का अवलोकन सुगमता से सम्भव हो सके।

¼x½ दिनांक 31.03.2012 तक निम्न विवरणानुसार ₹16276695/– के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित कार्यालयों को प्रेषण हेतु शेष थे।

Øekd	ikIr vuqnku dk L=ksr	01-04-2007 ls 31-03-2012 rd 0;; dh xbZ dqy jkf'k	01-04-2007 ls 31-03-2012 dh vof/k esa Hkstsa x, mi;ksfxrk izek.k i=ksa esa lfEefyr jkf'k	'ks"k jkf'k ftlds mi;ksfxrk izek.k i= 31-03-2011 rd ugha Hkstsa x,
1	Grants received under Maintenance of ULB roads	₹1625240	₹1259680	₹365560
2	Grants received under Tourism and Civil Aviation	₹176859	-----	₹176859
3	Grants received under EIUS/NSDP Scheme	₹1793644	₹1000000	₹793644
4	Grants received under SFC	₹3953986	₹1807247	₹2146739
5	Grants received under IDSMT	₹6080677	-------	₹6080677
6	Grants received under SJSRY	₹99398	---------	₹99398
7	I.P.H. Department	₹1300000	---------	₹1300000
8	Tele Communication Department	₹157800	---------	₹157800
9	D.C. Shimla	₹366	-------	₹366
10	Natural Calamities	₹297335	------	₹297335
11	RGURF	₹4600000	------	₹4600000
12	STSRY	₹85777	------	₹85777
13	13th Finance Commission	₹172540	------	₹172540
			Total	₹1]62]76]695

अतः उपरोक्त दर्षाई गई राषियों के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्राधिकारियों/कार्यालयों को यथाषीघ्र प्रेषित किए जाने सुनिष्चित करने के अतिरिक्त भविष्य में सभी उपयोगिता प्रमाण पत्र समय रहते प्रेषित किए जाऐं।

vk;

8 n|dkuk d vkcfV;k l fnukd 31-03-12 rd ₹2570644-00 fdjk, d :i e olyh gr| 'k"k%&

नगर पंचायत की दुकानों/स्टालों के किराए रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया आबंटियों/किराएदारों से दिनांक 31.03.2012 तक ₹2570644/– किराए के रूप में वसूली हेतु शेष पड़ी थी जिसका पूर्ण विवरण परिषिष्ट "ठ" में दिया गया है। अंकेक्षण में पाया गया कि वसूली योग्य यह राषि दिनांक 31.03.2007 को ₹13,47,846.00 थी जो कि बढ़कर दिनांक 31.3.2011 को ₹21,06,038/– हो गई थी तथा अब बढ़कर ₹2570644.00 हो गई है। इस प्रकार वर्ष दर वर्ष वसूली हेतु राषि बढ़ रही है जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि नगर पंचायत द्वारा इस राषि की वसूली हेतु अपेक्षित कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है तथा नगर पंचायत किराए की वसूली के प्रति गम्भीर नहीं है जोकि एक चिन्ता का विषय है। नगर पंचायत द्वारा अपेक्षित वसूली समय पर न करने के कारण नगर पंचायत को ब्याज के रूप में होने वाली आय से भी वंचित होना पड़ रहा है क्योंकि यदि समय रहते अपेक्षित वसूली करके वसूली में संलिप्त राषि का निवेष किया होता तो निष्चित ही नगर पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हुई होती। अतः इन आबंटियों से अपेक्षित वसूली करने बारे विषेष ध्यान देते हुए दिनांक 31.03.12 तक कुल वसूली योग्य राषि की शीघ्र वसूली सुनिष्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

9 jgu clsjk dk i;kx fuft vkokl d :i e dju d dkj.k vklru ₹24750@&ifro"k dh vk; dh gkfu gkuk%&

नगर पंचायत द्वारा रैहन बसेरा का संचालन व रख–रखाव निदेषक, षहरी विकास, हिमाचल प्रदेष के पत्र संख्याः UD-NSDP/EIUS-H(F)(1)-1/02-IX-9593-9601, दिनांक 30.

6.2008 में विर्निदिष्ट अनुदेषों के अनुरूप किया जाना चाहिए था तथा इसका उपयोग आम लोगों की तय दरों अनुसार ठहरने के लिए किया जाना था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रैहन बसेरा से कोई भी आय नगर पंचायत को नहीं हुई थी जबकि नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवम अभिलेख अनुसार वर्ष 2007–08 में ₹19750/– व 2008–2009 में ₹29750/–की आय नगर पंचायत को रैहन बसेरा से हुई थी व इस अवधि के बाद 2009–2010 में भी कुछ महीनों के लिए रैहन बसेरा का संचालन किया जाता रहा परन्तु वर्ष 2010–2011 व 2011–2012 में रैहन बसेरा में नगर पंचायत को कोई आय नहीं हुई है। इस सन्दर्भ में सचिव, नगर पंचायत कोटखाई द्वारा चर्चा में बताया कि रैहन बसेरा का वास्तविक उपयोग निम्नलिखित अधिकारियों के स्थायी आवास के रूप में किया जा रहा हैः–

Øe l0	vf/kdkjh dk uke@in	foHkkx@dk;kZy;	ftl vof/k ls fuft vkokl crkSj iz;ksx fd;k tk jgk gS
1	तहसीलदार कोटखाई	राजस्व विभाग, (हि0प्र0)	नवम्बर, 2009
2	नायब तहसीलदार कोटखाई	राजस्व विभाग, (हि0प्र0)	नवम्बर, 2009
3	कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पंचायत कोटखाई	षहरी विकास, (हि0प्र0)	अक्तूबर, 2011 से मार्च 2012 तक

उपरोक्त अधिकारियों/कर्मचरियों द्वारा रैहन बसेरा को निजि आवास के तौर पर प्रयोग करने के कोई भी सरकारी आदेष अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः इस प्रकार से रैहन बसेरा का उपयोग अनुपयुक्त तरीके से बतौर निजि आवास के रूप में करने के कारण नगर पंचायत कोटखाई को औसतन ₹24750/–की हानि हो रही है तथा रैहन बसेरा का निर्माण जिस प्रयोजन हेतु किया गया था उसकी पूर्ति भी हो रही है। अतः रैहन का प्रयोग निजि आवास के रूप में जिस संस्था के अधिकारियों/कर्मचरियों द्वारा किया जा रहा है उनसे रैहन बसेरा के उपयोग हेतु अपेक्षित वसूली की जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 rgcktkjh Bsdsnkj :i esa ₹12500@&ikIr u djuk&

नगर पंचायत कोटखाई द्वारा उन तहबाजारियों (जो नगर पंचायत की सीमा के भीतर तहबाजारी लगाकर अपना सामान उपभोगताओं को सीधे बेचते हैं) से वर्ष 2011–12 का तहबाजारी कर एकत्रित करने का ठेका श्री प्रदीत कुमार सुपुत्र श्री जतिन्द्र सूद को अधिकतम बोली के आधार पर ₹25000/–पर दिया गया था तथा अधिकतम बोलीदाता द्वारा 50% राषि अर्थात ₹12500/–दिनांक 31.3.2011 को जमा करवाए गए परन्तु षेष ₹12500/–अभी तक नगर पंचायत निधि में जमा नहीं करवाए गए है। अतः षेष ₹12500/–की वसूली हेतु आवष्यक कार्रवाई अमल में लाई जाए व अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्षाई जाए।

11 'kjkc 'kqYd dh olwyh ls lEcfU/kr vfHkys[k rS;kj u djuk&

नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि में शराब शुल्क से प्राप्त आय का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

o"kZ	izkIr jkf'k
2007–08	₹1,11,117/–
2008–09	₹74,638/–
2009–10	₹97,729/–
2010–11	₹59,755/–
2011–12	₹59,755/–

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा शराब शुल्क का कोई विवरण/अभिलेख तैयार नहीं किया जा रहा है जिससे यह सुनिष्चित हो सके कि नगर पंचायत को शराब शुल्क के रूप में जो आय प्राप्त हुई है वह नगर पंचायत सीमा के भीतर बेची जा रही शराब की बोतलों के अनुसार सही है अथवा नहीं। इसके अतिरिक्त अभिलेख के अभाव में यह भी सत्यापित न हो सका कि उपरोक्त प्राप्त राषियाँ किन अवधियों की है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण के पैरा संख्या 6.4 में भी आवष्यक कार्रवाई हेतु सुझाव दिया गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्रवई नहीं की गई। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि यह प्रकरण आबकारी विभाग से उठाते हुए अपेक्षित सूचनाऐं एकत्रित की जाए व वांछित अभिलेख तदानुसार ही तैयार करके इसकी पुष्टि आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जानी सुनिष्चित की जाए।

12 fctyh 'kqYd ls lEcfU/kr ikIr djuk&

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0–डी(1)–9/94, दिनांक 24.08.2000 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर बिजली की कुल खपत पर दिनांक 01.10.2000 से एक पैसा प्रति युनिट की दर से हिमाचल प्रदेष विद्युत बोर्ड द्वारा सम्बन्धित नगर पंचायत को भुगतान किया जाना अपेक्षित है। नगर पंचायत कोटखाई को इस मद पर विद्युत बोर्ड से वर्ष 2008–2009 के दौरान मात्र ₹31,433/– के अतिरिक्त कोई अन्य राषि प्राप्त नहीं हुई। इस सन्दर्भ में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.5 मे ंपूर्ण प्रकरण विद्युत बोर्ड से उठाने हेतु कहा गया था परन्तु इस सन्दर्भ में नगर पंचायत द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। अतः पुनः सुझाव दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्या एल0एस0जी0–डी(1)–9/94, दिनांक 24.8.2000 के अनुसार नगर पंचायत की सीमा के भीतर बिजली की कुल खपत पर एक पैसा यूनिट की दर से हिमाचल प्रदेष विद्युत बोर्ड द्वारा राषि को प्राप्त करने हेतु उचित कार्रवाई अमल में लाई जाए व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 Hkou uD'kk Qhl ¼**Map Fee**½ ds :i esa ikIr vk; ds ckjs esa&

नगर पंचायत को अंकेक्षण अवधि के दौरान भवन नक्षा फीस (Map Fee) के रूप में प्राप्त आय का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

o"kZ	o"kZ dh nkSjku ikIr vk;
2007–2008	₹350/–
2008–2009	₹4,840/–
2009–2010	₹820/–
2010–2011	₹420/–
2011–2012	₹542

चूंकि उपरोक्त प्राप्त आय नगर पंचायत क्षेत्र में बने अथवा बन रहे भवनों की संख्याः को देखते हुए बहुत कम प्रतीत होती है। अतः यह प्रकरण नगर पंचायत के प्राधिकारियों के ध्यानार्थ इस आषय से लाया जाता है कि इस मद से होने वाली आय को बढ़ाने हेतु विषेष कदम उठाए जाएं। इसके अतिरिक्त कार्यालय में इस मद से होने वाली आय के रख–रखाव एक रजिस्टर रखना भी सुनिष्चित किया जाए जिसमें आवेदनकर्त्ता के पूर्ण विवरण के अतिरिक्त भवन का पूर्ण विवरण (क्षेत्रफल सहित) व प्राप्त की गई फीस का पूर्ण विवरण भी अभिलेखित किया जाए।

14 x`gdj vf/kjkfir u djd uxj ipk;r dk jktLo dh viR;kf'kr gkfu d ckj e&

हिमाचल प्रदेष सरकार की अधिसूचना संख्याः एल0एस0जी0–डी(1)–9/94, दिनांक 28.9.1997 के अनुसार सभी नगर परिषदों व नगर पंचायतो में दिनांक 01.09.1997 से गृहकर अधिरोपित किया जाना अपेक्षित है किन्तु नगर पंचायत कोटखाई द्वारा अंकेक्षण की समाप्ति तक न तो कोई गृहकर की मांग जारी नहीं की गई और न ही उगाही की गई। यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नगर पंचायत द्वारा गृहकर का अभी तक निर्धारण तक भी नही किया है जिससे स्वतः स्पष्ट है कि नगर पंचायत गृहकर अधिरोपण के सन्दर्भ में कोई गम्भीर नहीं है। इस सम्बन्ध में पूर्व अंकेक्षण के पैरा संख्या 6.4 मे भी आवष्यक कार्रवाई हेतु सुझाव दिया गया था परन्तु नगर पंचायत द्वारा इस सन्दर्भ में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः यह प्रकरण निदेषक, षहरी विकास हिमाचल प्रदेष के विषेष ध्यानार्थ इस सन्दर्भ में विषिष्ट आदेष पारित करने के उद्देष्य से लाया जाता है ताकि व केवल उनके उपरोक्त अनुदेषों की अनुपालना सम्भव हो सके अपितु नगर पंचायत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनाया जा सके।

15 ekckby Vkoj l dkb Hkh vk; ikIr u dju d QyLo:i ₹30000@&dh gkfu&

नगर पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 149/Audit 2011.2012 दिनांक 24.7.2012 के सन्दर्भ में पत्र संख्या 1209 दिनांक 03.08.2012 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया था कि नगर पंचायत क्षेत्र में एक टावर बी0एस0एन0एल0 का लगाया गया है

जिससे षुल्क के रूप में प्रतिवर्ष कोई भी राषि प्राप्त नहीं हो रही है। नगर पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार बी0एस0एन0एल0 द्वारा वर्ष 2008 में टावर लगाया गया था। इस प्रकार उनसे टावर लगाने के षुल्क के रूप में ₹10000/– तथा प्रतिवर्ष ₹5000/–प्रति टावर की दर से चार वर्षों की राषि की वसूली की जानी अपेक्षित थी जो कि नगर पंचायत द्वारा नहीं की गई तथा इस प्रकार नगर पंचायत को ₹10000+(5000X4)=₹30000/–की आय की हानि हुई है जिसकी वसूली हेतु बी0एस0एन0एल0 से मामला उठाया जाये तथा उपरोक्त वसूली के अतिरिक्त भविष्य में भी प्रति वर्ष ₹5000/–प्रति टावर की दर से वसूल किये जाने सुनिष्चित किये जाए।

0;;

16 fu;ekas dh vuns[kh djds ₹3-85 dh etnwjh dk vfu;fer Hkqxrku&

नगर पंचायत के अवधि 01.04.2011 से 31.3.2012 के मस्टर रोलो की जॉच करने पर पाया गया कि श्री राजेन्द्र सिंह, वर्क सुपरवाईजर को उक्त अवधि में निम्न विवरणानुसार ₹41510/–का "wages" का भुगतान किया गया है। उक्त कार्य पर्यवेक्षक की नियुक्ति नगर पंचायत द्वारा अपने स्त्तर पर ही की है जिसमें सरकार की स्वीकृति प्राप्त नहीं है जैसा कि विगत अंकेक्षण अवधि 01.04.1996 से 31.3.2007 के पैरा 5 (1) व 01.04.2007 से 31.3.2011 के पैरा 7.3 में भी स्पष्ट किया गया था। अतः यह नियुक्ति तब तक नियमित नहीं मानी जा सकती तब तक इस नियुक्ति के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता परन्तु नगर पंचायत द्वारा इसके विपरीत अभी तक अपेक्षित अनुमोदन सरकार से प्राप्त नहीं किया गया है। इस प्रकार उक्त कार्य पर्यवेक्षक को निम्नविववरणानुसार "wages" के रूप में किया गया भुगतान अनियमित हैः–

1	माह 2/02 से 31.3.07 तक किया गया भुगतान जिसका विवरण विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 5 (1) में है	₹1,92,786
2	अवधि 4/07 से 03/11 तक उपरोक्त विवरणानुसार किया गया भुगतान	₹1,51,113

3 अवधि 4/11 से 3/12 तक किया गया भुगतान	₹41510
कुल अनियमित भुगतान	₹385409

अतः या तो अपेक्षित कार्रवाई करके इस प्रकरण में सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए अन्यथा अनियमित भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए तथा भविष्य में सरकार की अनुमति के उपरान्त ही "wages" का भुगतान किया जाए।

17 j|gu c l|jk d| fc t yh d| fcyk| d| : i e| ₹20945@&dk vu|fpr Hk|x rku%&

नगर पंचायत द्वारा माह 05/2011 से 07/2011 के दौरान ₹20945/–का भुगतान किया गया था बिजली के बिलों के रूप में किया गया जबकि नगर पंचायत के रैहन बसेरा का उपयोग राजस्व/षहरी विकास के अधिकारियों के ठहरने के लिए किया गया था। अतः निजि रूप से उपयोग कि गई बिजली का बिल सरकारी/नगर पंचायत कोष से किया जाना अनियमित है। अतः भुगतान किए गए बिजली क बिलों की वसूली ब्याज सहित उक्त अधिकारियों से की जानी सुनिष्चित की जाए। उपरोक्त प्रकरण निदेषक षहरी विकास (हिमाचल प्रदेष) के ध्यानार्थ भी आवष्यक कार्रवाई हेतु विषेष रूप से लाया जाता है।

18 fgekpy in'k flfoy llykbt dkikj'ku f'keyk dk ₹25010@&dk vf/kd Hkxrku %&

नगर पंचायत कार्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेष सिविल सप्लाईज़ कार्पोरेषन षिमला को वर्ष 2011–12 में सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु निम्नलिखित भुगतान किए गए:–

fnukd	jkf'k	ftruh lheUV dh vkifrZ gqbZ
18.8.2011	46170	200 बोरी/1मीट्रिक टन
18.8.2011	46170	200 बोरी/1मीट्रिक टन
18.8.2011	46170	200 बोरी/1मीट्रिक टन
11.11.2011	92340	400 बोरी/2मीट्रिक टन

11.11.2011	46170	200 बोरी / 1मीट्रिक टन
25.11.2011	23028	100 बोरी / 0.'5 मीट्रिक टन
25.11.2011	69082	300 बोरी / 1.50मीट्रिक टन
कुल योग	₹369130	1600 बोरी / 8मीट्रिक टन

उक्त सीमेन्ट आपूर्ति के सन्दर्भ में अम्बूजा सीमेन्ट कम्पनी लिमिटेड से प्राप्त बिलों का विवरण निम्नानुसार हैः–

Invoice No. and date	**No. Of Packing's**	**Invoice value**	**Fright**	**Misc Charges**	**Total**
8103039211 dated 28-8-2011	200 bags	₹35945	₹5,770	₹1300	₹43015
810303918, dated 28-8-2011	200 bags	₹35945	₹5,770	₹1300	₹43015
8103039092, dated 28-8-2011	200 bags	₹35945	₹5,770	₹1300	₹43015
8103065365, dated 18-11-2011	200 bags	₹35945	₹5,770	₹1300	₹43015
8103065324 dated 18-11-2011	200 bags	₹35945	₹5,770	₹1300	₹43015
8103065365, dated 18-11-2011	200 bags	₹35945	₹5,770	₹1300	₹43015
8103070710, dated 01-12-2011	200 bags	₹35945	₹5,770	₹1300	₹43015
8103070551, dated 30-11-	200 bags	₹35945	₹5,770	₹1300	₹43015

2011						
Total	**1600bags**	₹287560	₹46160		₹10400	**₹344120**

उपरोक्त विवरण से स्वतः स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा हिमाचल प्रदेष सिविल सप्लाईज कार्पोरेषन षिमला को वर्ष 2011–2012 में 1600 सीमेन्ट बोरी/8 मीट्रिक टन सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु ₹369130/–का भुगतान किया गया था जबकि हिमाचल प्रदेष सिविल सप्लाईज कार्पोरेषन, षिमला द्वारा 1600 बोरी सीमेन्ट की आपूर्ति के लिए ₹344120/–के बिल प्रस्तुत किए गए थे। इस प्रकार से वर्ष 2011–2012 में नगर पंचायत द्वारा सिविल सप्लाईज कारर्पोरेषन को ₹25010/–अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसकी संस्था स्त्तर पर आवष्यक जांच करके इसकी वसूली हिमाचल प्रदेष सिविल सप्लाईज कारर्पोरेषन षिमला से की जानी अपेक्षित है।

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया जाता है कि नगर पंचायत कार्यालय द्वारा लेखों के रख–रखाव में खाता प्रणाली (Ledger System) को अंगीकृत नहीं किया गया है तथा जिन संस्थाओं को नगर पंचायत कार्यालय द्वारा निर्माण कार्य के सामान की आपूर्ति हेतु अग्रिम राषियॉं प्रदान की जाती है, के कोई भी खाते तैयार नहीं किए गए है। ऐसी अवस्थाओं में उपरोक्त प्रकरण के अतिरिक्त अन्य ऐसे प्रकरणों के घटित होने से भी इन्कार नहीं किया जा सकता तथा पूर्व के अंकेक्षण में भी अवधि 4/07 से 3/11 के पैरा संख्या 8.2 में भी इस प्रकार अधिक भुगतान की गई ₹4149/–दर्षाई गई थी। अतः अंकेक्षण अवधि के पूर्व के वर्षों से लेकर अप टू डेट जिनमें निर्माण कार्य सामग्री की आपूर्ति हेतु सम्बन्धित संस्थाओं को अग्रिम राषियों प्रदान की गई थी का पूर्ण लेखा जोखा तैयार करके यह सुनिष्चित किया जाए ताकि यह सुनिष्चित किया जा सके कि सम्बन्धित संस्था को अधिक भुगतान न हुआ हो।

19 uxj iapk;r] dkV[kkbZ }kjk r;@n; frfFk ds ckn fcty h ds fcyks dk Hkqxrku djus ij nM jkf'k ds : i es ₹287@&dk uxj iapk;r fuf/k ls vfu;fer : i es Hkqxrku djuk %&

नगर पंचायत, कोटखाई के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि माह 6/2011 में बिजली के निम्न बिलों की अदायगी तय/देय तिथि के बाद की गई थी जिसमें दंड राषि के रूप में ₹287/–अदायगी भी की गई थी।

feVj l0	fcy l0	n; frfFk	Hkqxrku frfFk	n; frfFk dk n; jkf'k	n; frfFk d ckn n; jkf'k	nM dh jkf'k tk nh xb
एनसी–263	01704936	25.5.2011	13.6.2011	217	219	2
एचएस–3	01769057	25.5.2011	13.6.2011	5623	5676	53
एनडी–541	01769228	25.5.2011	13.6.2011	10496	1001	105
एनसी–126	01769574	25.5.2011	13.6.2011	557	563	6
एनसी–201	1769576	25.5.2011	13.6.2011	166	168	2
एचएस–4	01769058	25.5.2011	13.6.2011	10582	10682	100
एचएस–5	01769069	25.5.2011	13.6.2011	1997	2016	19
					dqy ;ksx	₹287

उपरोक्त विवरणानुसार दंड की राषि का भुगतान नगर पंचायत कोटखाई की निधि पर उचित प्रभार नहीं है। अतः अनियमित रूप से भुगतान की गई दण्ड की ₹287/–की वसूली सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से करके नगर पंचायत निधि में जमा करवाई जानी सुनिष्चित की जाए व इस विभाग को कृत कार्रवाई से अवगत करवाया जाए।

20 xyr dUo'kZu **factor** yxk, tkus d dkj.k lfonkdkj dk ₹8607@&dk vf/kd Hkqxrku&

कार्य का नामः–	C/O Shopping complex at 1st floor level of existing shops at bus stand Kotkhai
संविदाकार का नामः–	श्री संदीप चौहान
अनुमाति लागतः–	1427990
आबटित राषिः–	1116062
चलत बिलः–	प्रथम चलत बिल ₹570370

उपरोक्त निर्माण कार्य के चलत बिल के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 1 वस्तुतः स्टील वर्क इन बिल्ट अप सेक्षन, ट्रस्सेस इंक्लूडिंग कटिंग/फिक्सिग आदि (जिसके निष्पादन की मापन पुस्तिका संख्या 22 के पृष्ठ 20 पर रिकार्ड एन्ट्री की गई है) में मद एकईल एंगल "40X40X6" के कन्वर्षन हेतु 3.72 किलोग्राम प्रति मीटर तथा एकईल एंगल "40X40X5" के कर्न्वषन हेतु 3.12 कि0ग्रा0 प्रति मीटर का factor निम्न विवरणानुसार लगाया गया था जबकि उक्त मदों का अनुमोदित कन्वर्षन फैक्टर क्रमषः 3.50 किलोग्राम तथा 3.00 कि0ग्रा0 प्रति मीटर है।

ekiu iqfLrdk@i"V l0	en dk mi 'kh"kd	dqy ek=k	dUo'kZu Factor tks yxk;k x;k Fkk	dqy ek=k fdyksxzke esa ftldk Hkqxrku fd;k x;k	vuqeksfnr dUo'kZu factor tks yxk;k tkuk pkfg, Fkk	dqy ek=k fd0xzk0 esa ftldk Hkqxrku fd;k tkuk pkfg, Fkk	Dqy ek=k esa vf/kd fd0xzk0
22/19 व 20	एकूईल एंगल 40X40X6	456.66 मी0	3.72	1698.77कि0ग्प्र0	3.50	1598.31कि0ग्रा0	100.46कि0ग्रा0
22/20	एकूईल एंगल 40X40X6	197.54 मी0	3.72	743.85	3.50	691.39	43.46 कि0ग्रा0

22／20	एकूईल एंगल 40X40X6	89.10	3.12	278.00	3.00	267.30	10.70कि0ग्रा0

Dqy ;kx 154-76 fd0xk0

उपरोक्त विवरणानुसार गलत factor लगाए जाने के कारण संविदाकार को 154.76 कि0ग्रा09 का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी अनुबधित दर ₹5600／–प्रति क्विंटल थी। इस प्रकार संविदाकार को कुल ₹8667／–का अधिक भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये अधिक किए ग्रए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए।

21 fMikftV dk;l gr| ₹5050000@&dk Hkqxrku dk mi;kfxrk iek.ki= ikIr u djuk %&

नगर पंचायत कोटखाई द्वारा चैक संख्या 262282 दिनांक 20.4.2010 द्वारा कार्यकारी अभियन्ता हिमाचल प्रदेष लोक निर्माण विभाग जुब्बल को नगर पंचायत में पार्किंग बनाने हेतु 4550000／– का भुगतान बतौर डिपोजिट वर्क करवाने हेतु किया गया था तथा चैक संख्या 155644, दिनांक 03.12.2010 द्वारा अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत सर्कल षिमला ₹400000／–का भुगतान नगर पंचायत कोटखाई के नवनिर्मित व्यवसायिक परिसर में बिजली की फिटिंग का कार्य (बतौर डिपोजिट) करवाने हेतु किया गया। नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त ₹400000／–के भुगतान के अतिरिक्त ₹100000／–का और भुगतान भी अधीक्षण अभियन्ता को किया है, परन्तु नगर पंचायत द्वारा डिपोजिट कार्यो हेतु विभिन्न विभागों में जमा करवाई गई ₹5050000／–के उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए। अतः अपेक्षित प्रमाण पत्र यथासमय प्राप्त करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

22 xyr x.kuk fd, tku d dkj.k lfonkdkj dk ₹5325@&vf/kd Hkxrku %&

कार्य का नामः— लिंक रोड फ्रोम जुब्बल रोड टूवार्ड यात्री निवास

अनुमाति लागतः— 611880

आबटित लागतः— 642579

संविदाकार का नामः— श्री संदीप सावंत

उपरोक्त निर्माण कार्य के बिल के अंकेक्षण में पाया गया कि अनुबन्ध की मद संख्या 5 "प्रोविडिंग एंड लाईंग सी सी 1:5:10" जिनके निष्पादन की रिकार्ड एटिरंस मापन संख्या 12 के पृष्ठ 53 में की गई है, में गलत गणना के कारण 2.56 घन मी0 कार्य मात्रा हेतु अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः—

मद	भुगतान की गई कार्य मात्रा	कार्य मात्रा जिसका भुगतान किया जाना अपेक्षित था	अधिक कार्य मात्रा का भुगतान
प्रोविडिंग एंड लाईंग सी सी 1:5:10	124.84 घन मी0	21.54X(2.20+1.25)/2 X(2.90+3.50)/2=122.62	2.22 घन मी0
प्रोविडिंग एंड लाईंग सी सी 1:5:10	52.08	21.54X(1.25+.30)/2 X(2.90+3.30)/2=51.74	0.34घन मी0
dqy ;ksx	176-92	174-36	2-56 ?ku eh0

उपरोक्त विवरणानुसार 2.56 घन मीटर की मात्रा का अधिक भुगतान किया गया था जिसकी अनुबन्धित दर ₹2080/—प्रति घन मीटर थी। इस प्रकार कुल ₹5325/—का अधिक

भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुये अधिक किए गए भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से की जानी सुनिष्चित की जाए।

23 dk;Z fuf'pr le;kof/k d Hkhrj i.k u gkus ij Bsdsnkj l ₹5]19]922@&dh olyh u djus d QyLo:Ik uxj ipk;r dk gkfu&

नगर पंचायत कोटखाई के पत्र संख्याः आईडी0एसएमटी'830, दिनांक 21.07.2006 द्वारा ठेकेदार को कार्य आबंटित किया गया जिसके अनुसार यह कार्य एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना था तथा इस निष्चित तिथि की गणना उक्त आबंटन पत्र के जारी होने के 15 दिनों पश्चात अर्थात 04.08.2006 से की जानी अपेक्षित थीं। इस प्रकार इस कार्य को पूर्ण करने की निष्चित तिथि 03.08.2007 थी किन्तु उक्त कार्य न तो अंकेक्षण समाप्ति तक पूर्ण हुआ है और न ही सम्बन्धित ठेकेदार ने इस कार्य को पूर्ण करने हेतु समय अवधि बढ़ाने हेतु कोई अनुरोध अंकेक्षण की समाप्ति तक किया था। ऐसी अवस्थाओं में Contract Agreement's के clause-2 अर्थात "In the event of the contractor failing to comply with this condition he shall be liable to pay an amount cagual to oneperent or such smaller amount as the Municipal Council may decide on the said estimated cost of the whole work for every day for which the work remains incomplete provided always that the entire amount of compensation shall not exceed 10% on the estimated cost of the work shown in the tender" के प्रावधान के अनुसार ठेकेदार से कार्य की अनुमानित लागत का 10% भाग हर्जाने के रूप में वसूल किया जाना अपेक्षित था, परन्तु उक्त वसूली अंकेक्षण समाप्ति तक नहीं की गई थी तथा इस कार्य की अनुमानित लागत ₹51,99,222/–थी। अतः इस लागत का 10% भाग अर्थात ₹5,19,922/–बनता था जिसकी वसूली की जानी अपेक्षित थी तथा कार्य में देरी हाने के कारण निदेषक षहरी विकास द्वारा पत्र संख्या UD(H)C(10)/96 Kotkhai engg-cell--1371 दिनांक 30.4.2010 के अन्तर्गत भी नगर पंचायत को अनुबन्ध की धारा–2 के अन्तर्गत कार्रवाई करने हेतु निर्देष दिए गए थे परन्तु इसके विपरीत नगर पंचायत सचिव/अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई थी। इस प्रकार नगर पंचायत द्वारा अनुबन्ध की धारा–2 के अन्तर्गत कार्रवाई न करने नगर पंचायत को ₹519922/–की हानि हुई है। अतः यह मामला उचित कार्रवाई हेतु निदेषक, षहरी विकास के ध्यानार्थ विषेष रूप से इस आषय से लाया जाता है कि इस सन्दर्भ में अपेक्षित जांच पड़ताल करवाई जाए तथा अपेक्षित वसूली उचित स्त्रोत से करके अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

24 fuek.k dk;k ls lEcfU/kr ₹54571@&dk fcØh dj vkj ₹15750@&dk Je dj ¼**Sales Tax and Labour cess**½ dh dVkfr;k dk lEcfU/kr foHkkxk e tek u djokuk ¼&

नगर पंचायत के निर्माण कार्यो के बिलों की जांच करने पर पाया गया कि नगर पंचायत द्वारा ठेकेदारों से Total value of work done की 2% की दर से बिक्री कर की तथा 1% की दर से श्रम कर की कटौती की जा रही थी। इस प्रकार वर्ष 2011–2012 में ₹54571/–के बिक्री कर और ₹15750/–के श्रम कर ¼**Sales Tax and Labour cess**½ की कटौतियॉ ठेकेदारों से की गई थी परन्तु नगर पंचायत द्वारा इन कटौतियों से प्राप्त राषियों को सम्बन्धित विभागों में जमा नहीं करवाया गया था। इसके अतिरिक्त इससे पूर्व के वर्षों में भी नगर पंचायत द्वारा इस प्रकार की कटौतियॉ की गई थी जिन्हें भी सम्बन्धित विभागों में जमा नहीं करवाया गया था। नगर परिषद कार्यालय में इन कटौतियों का कोई लेखा जोखा भी नहीं रख गया था जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि ठेकेदारों से वास्तव में इन करों/उपकरों की कुल कितनी राषियों की कटौती की गई थी तथा यह राषियॉ कब से सम्बन्धित विभागों में जमा नही करवाई गई।

अतः न केवल उक्त खाते तैयार किए जाएं अपितु वर्ष 2011–2012 में कटौती की गई ₹54571/–के बिक्री कर और ₹15750/–के श्रम कर के अतिरिक्त पूर्व के वर्षों में भी की गई इस प्रकार की समस्त कटौतियों को सम्बन्घित विभागों से अविलम्ब जमा करवाया जाना सुनिष्चित करें। अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाई जाए।

25 uxj iapk;r }kjk okgu **Hydraulic Tipper** dk iathdj.k o chek u djokuk rFkk bl okgu ds vuqi;qDr jgus ds dkj.k okgu dh [kjhn ij ₹768274@&O;Fk esa gh [kpZ djuk¼&

नगर पंचायत के पास एक मात्र वाहन Hydraulic Tipper (हाईड्रोलिक टिप्पर) है जो कि कूड़ा कर्कट इत्यादि के (disposal) के उद्देष्य से अक्तूबर, 2010 में खरीदा गया। इस वाहन की खरीद/रख–रखाव के सन्दर्भ में निम्नलिखित अंकेक्षण टिप्पणियाँ पाई गई।

(क) नगर पंचायत द्वारा खरीदे गए उक्त वाहन का पंजीकरण अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं किया गया था न ही उक्त वाहन का बीमा करवाया गया था जो कि एक गम्भीर अनियमितता है। अतः इस सन्दर्भ में त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुपालना अंकेक्षण को दर्षाने के अतिरिक्त उक्त कार्रवाई अब तक न किए जाने के कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए क्योंकि इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की हानि पर नगर पंचायत स्वयं जिम्मेवार होगा। यह मामला विषेष रूप से निदेषक, षहरी विकास के ध्यानार्थ विषेष रूप से लाया जाता है।

(ख) उक्त वाहन अक्तूबर, 2010 में खरीदा गया तथा इस वाहन का उपयोग अंकेक्षण की समाप्ति तक नहीं हुआ जिसका कारण नगर पंचायत में चालक का सृजित पद स्वीकृत न होना बताया गया। यद्यपि नगर पंचायत में चालक के पद को अंषकालिक आधार पर भरने का मामला सचिव नगर पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेष से उठाया गया है तथापि अंकेक्षण की समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई प्रगति नहीं हुई है जिस कारण टिप्पर अनुप्युक्त ही पड़ा है तथा उपयोग न किए जाने के कारण वाहन की खरीद हेतु खर्च की गई ₹768274 का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा वास्तव में वाहन उपयोग न किये जाने के कारण अनुपयोग ही हुआ है। अतः यह मामला विषेष रूप से निदेषक, षहरी विकास के ध्यानार्थ विषेष रूप से लाया जाता है तथा इस सन्दर्भ में त्वरित कार्रवाई सुनिष्चित की जाए ताकि खरीदे गए वाहन का सदुपयोग सुनिष्चित हो सके।

26 iU'ku ,o xP;Vh fuf/k e foHkkxh; iHkkj dk v'knku u djuk %&

हिमाचल प्रदेष म्नुसिपल कर्मचारी (पैन्षन ग्रेच्युटी एवं सामान्य भविष्य निधि) नियम 2000, जो कि दिनांक 25.04.2000 को अधिसूचित हुए थे, के अनुसार प्रत्येक नगर परिषद/पंचायत को अपने बजट की स्वीकृत आय का 10% हिस्सा बतौर विभागीय प्रभार पैन्षन एवं ग्रैच्युटी निधि में निवेष किया जाना अपेक्षित है किन्तु नगर पंचायत कोटखाई द्वारा अपेक्षित निवेष वर्ष 2000–2001 से अभी तक नहीं किया गया। इस सन्दर्भ में नगर पंचायत कार्यालय द्वारा अंकेक्षण अवधि के बजट आंकड़े अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में यह ज्ञात न हो सका कि अंकेक्षण अवधि में नगर पंचायत द्वारा उपरोक्त अंषदान के रूप में कितना निवेष किया जाना अपेक्षित था। अतः उपरोक्त अंषदान की वर्ष 2000–2001 से अद्यतन तक नियमानुसार गणना करके पैन्षन एवं ग्रैच्यूटी निधि में जमा करवाई जाए तथा इसकी सत्यापना आगामी अंकेक्षण से करवाई जानी सुनिष्चित की जाने के अतिरिक्त अब तक अपेक्षित अंषदान न किए जाने के कारणों से भी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

27 ctV jftLVj dk j[k&j[kko u djuk rFkk ctV ufLRk vd{k.k dk iLrqr u djuk %&

नगर पंचायत द्वारा न तो बजट रजिस्टर का रख–रखाव किया जा रहा है और न ही अंकेक्षण को बजट नस्ति अथवा स्वीकृत बजट की प्रतियाँ उपलब्ध करवाई गई। इन अभिलेखों के अभाव में यह पुष्टि भी सम्भव न हो सकी कि अंकेक्षण अवधि में नगर पंचायत द्वारा व्यय बजट सीमाओं के भीतर किया गया है अथवा अन्यथा। अतः इन तथ्यों की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किए जाने सुनिष्चित करने के अतिरिक्त भविष्य में "Standard Object of Expenditure Wise" बजट रजिस्टर का रख–रखाव भी सुनिष्चित किया जाए ताकि बजट के उद्देष्य का सही मायनों में पालन सुनिष्चित हो सके।

28 **y?kq vkifÙk foojf.kdk %&** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

29 **fu"d"kZ %&** लेखाओं में नितान्त सुधार की आवष्यकता है तथा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर ठोस कार्रवाई करने की आवष्यकता है।

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :– फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)(V)6/86,खण्ड– दिनांक, षिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है :–

i`"Bkadr %&1- सचिव, नगर पंचायत कोटखाई, तहसील कोटखाई, जिला षिमला हिमाचल प्रदेष को इस आषय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को अतिषीघ्र भेजें।

2. निदेषक, शहरी विकास हिमाचल प्रदेष षिमला–2.

3 वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले0 व ह0) हिमाचल प्रदेष षिमला–171003.

4 श्री अनिल मेहरा, अ0अ0 द्वारा..............................

उप निदेषक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेष, षिमला–171009.

ifjf'k"V ¼d½

ijk l[;k 1 ¼?k½ e lUnfHkZr%&

नगर पंचायत कोटखाई जिला षिमला, हिमाचल प्रदेष के लेखों के विगत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट पैरों की वर्तमान अंकेक्षण के उपरान्त षेष अनिर्णीत पैरेां की स्थिति निम्न थीः–

¼d½ vd{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 4@85 l 03@87

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 9	अनिर्णीत
3	पैरा 10 (ए) (1)	अनिर्णीत
4	पैरा 10 (बी)	अनिर्णीत
5	पैरा 19	अनिर्णीत

¼[k½ vdk{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@87 ls 03@90

1	पैरा 8	अनिर्णीत
2	पैरा 10 (1)	अनिर्णीत
3	पैरा 13 (2)	अनिर्णीत
4	पैरा 13 (2) (ख)	अनिर्णीत
5	पैरा 13 (2) (ग)	अनिर्णीत
6	पैरा 13 (3 से 5)	अनिर्णीत
7	पैरा 14 (1)	अनिर्णीत
8	पैरा 14 (3)	अनिर्णीत
9	पैरा 15	अनिर्णीत
10	पैरा–16 (क) (ख)	अनिर्णीत
11	पैरा 17 (1) (क)	अनिर्णीत
12	पैरा 17 (1) (ख)	अनिर्णीत
13	पैरा 17 (2) क (1 से 5)	अनिर्णीत
14	पैरा 17 (2) (ख)	अनिर्णीत
15	पैरा 17 (2) (ग) (1 से 4)	अनिर्णीत
16	पैरा 18 (क) (1) से (3)	अनिर्णीत
17	पैरा 19 (ख)	अनिर्णीत

¼x½ vdk{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@90 ls 03@96

1	पैरा 3	अनिर्णीत
2	पैरा 4	अनिर्णीत
3	पैरा 8	अनिर्णीत
4	पैरा 9 (1)(2)	अनिर्णीत
5	पैरा 9 (8)	अनिर्णीत
6	पैरा 10(1) से (3)	अनिर्णीत
7	पैरा 11	अनिर्णीत
8	पैरा 13	अनिर्णीत
9	पैरा 14 (4)	अनिर्णीत

10	पैरा 14 (7)	अनिर्णीत

¼?k½ vdk{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@96 ls 03@07

1	पैरा 2 (iv) (ख)	अनिर्णीत
2	पैरा 2 (v)	अनिर्णीत
3	पैरा 2 (vi)	अनिर्णीत
4	पैरा 3 (ii)	अनिर्णीत
5	पैरा 4 (v) व (vi)	अनिर्णीत
6	पैरा 4 (vii) व (viii)	अनिर्णीत
7	पैरा 5 (ii) व (iii)	अनिर्णीत
8	पैरा 5 (vi)	अनिर्णीत
9	पैरा 5 (viii)	अनिर्णीत
10	पैरा 5 (ix)	आंशिक निर्णीत
11	पैरा 6 (i)	आंशिक निर्णीत
12	पैरा 6 (ii)	अनिर्णीत
13	पैरा 6 (iii)	अनिर्णीत
14	पैरा 6 (iv)	अनिर्णीत
15	पैरा 6 (v) (i)	अनिर्णीत
16	पैरा 6 (vi) (i)	अनिर्णीत
17	पैरा 6 (vii)	अनिर्णीत
18	पैरा 6 (viii)	अनिर्णीत
19	पैरा 6 (ix)	अनिर्णीत
20	पैरा 6 (x)	अनिर्णीत
21	पैरा 6 (xi)	अनिर्णीत
22	पैरा 6 (xiii)	अनिर्णीत
23	पैरा 6 (xiv) व (xv)	अनिर्णीत
24	पैरा 6 (xvi)	अनिर्णीत
25	पैरा 6 (xvii)	आंशिक निर्णीत
26	पैरा 6 (xviii), (xix) व (xx)	अनिर्णीत

27	पैरा 6 (xxi)	अनिर्णीत
28	पैरा 6 (xxii)	अनिर्णीत
29	पैरा 6 (xxiv) से (xxvii)	अनिर्णीत
30	पैरा 6 (xxix) से (xxx)	अनिर्णीत
31	पैरा 6 (xxxi)	अनिर्णीत
32	पैरा 6 (xxxii)	अनिर्णीत
33	पैरा 6 (xxxiii) से 6 (xxxvii)	अनिर्णीत
34	पैरा 7 (1)	अनिर्णीत
35	पैरा 7 (ii)(i)	आंषिक निर्णीत
36	पैरा 7 (ii)(ii)	अनिर्णीत
37	पैरा 7 (ii)(iii)(iv)(v)	अनिर्णीत
38	पैरा 7 (ii)(xi) से (xiii)	अनिर्णीत
39	पैरा 7 (iii)(i) से (ii)	अनिर्णीत
40	पैरा 7 (iv)(i)	अनिर्णीत

¼3½ vad{k.k ,o fujh{k.k ifronu vof/k 04@07 l 03@11

1	पैरा 3	अनिर्णीत	
2	पैरा 4.1 से 4.3	निर्णीत	(यह पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरों सख्या 4.1 से 4.3 तक के रूप में नवीनतम स्थिति सहितपुनः प्रारूपित किया गया है)
3	पैरा 4.4	निर्णीत	
4	पैरा 5.1 से 5.3	निर्णीत	(यह पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरों सख्या 5.1 से 5.3 के रूप में नवीनतम स्थिति सहित पुनः प्रारूपित किया गया है)
5	पैरा 6.1	निर्णीत	
6	पैरा 6.2	निर्णीत	
7	पैरा 6.3	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अवलोकनोरान्त समाप्त किया

			गया)
8	पैरा 6.4	निर्णीत	(यह पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरों सख्या 6.4 के रूप में नवीनतम स्थिति सहित प्रारूपित किया गया है)
9	पैरा 6.5 व 6.6	निर्णीत	(यह पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरों सख्या 6.5 व 6.6 क्रमषः के रूप में नवीनतम स्थिति सहित प्रारूपित किया गया है)
10	पैरा 6.7.1 व 6.7.2	अनिर्णीत	
11	पैरा 6.8	निर्णीत	
12	पैरा 6.9	निर्णीत	(अभिलेख का अवलोकन किया गया)
13	पैरा 6.10	अनिर्णीत	
14	पैरा 6.11	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अवलोकनोपरान्त)
15	पैरा 7.1	निर्णीत	(राषि की वसूली रसीद संख्या जी–8 79/93 दिनांक 7.8.12 द्वारा की गई थी)
16	पैरा 7.2.1 से 7.2.3	अनिर्णीत	
17	पैरा 7.3	निर्णीत	
18	पैरा 7.4	अनिर्णीत	
19	पैरा 7.5	अनिर्णीत	
20	पैरा 7.6	निर्णीत	
21	पैरा 8.1	अनिर्णीत	
22	पैरा 8.2	निर्णीत	(यह पैरा वर्तमान स्थिति सहित पैरा संख्या 8.2 में पुनः प्रारूपित किया गया है)
23	पैरा 8.3	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अवलोकनोपरान्त)
24	पैरा 8.4	निर्णीत	(सटिप्पण उत्तर के अवलोकनोपरान्त)
25	पैरा 8.5	निर्णीत	(यह पैरा वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पैरा संख्या 9.2 के रूप में नवीनतम स्थिति सहित प्रारूपित किया गया है)
26	पैरा 8.6 से 8.9	अनिर्णीत	
27	पैरा 9.1 व 9.2	अनिर्णीत	

28	पैरा 9.3.1 से 9.3.3	अनिर्णीत
29	पैरा 9.4.1 से 9.4.5	अनिर्णीत
30	पैरा 9.5 से 9.9	अनिर्णीत
31	पैरा 10.1 से 10.4	अनिर्णीत
32	पैरा 11	निर्णीत
33	पैरा 12.1 व 12.2	अनिर्णीत